मु.नं.- (मोहन्या उर्फ मोहनलाल v/s केसर देवी)
(2024/99) प्रार्थना 39 नियम 1 CPC

20/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। प्रार्थना पत्र 39 नियम 1 (CPC) पर वकील वादी ने जवाब पेश न करते हुए मौखिक ही बहस करनी चाही। वकील उभयपक्षो के आग्रह पर मौखिक ही बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि ग्राम मरलाना तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 181 रकबा 6.3731 हे. के सम्बन्ध में वादी द्वारा दुरभिसंधि करके दिनांक 15/06/2023 को न्यायालय से अंतरिम स्थगन जारी करवाया है इस विवादित भूमि का प्रार्थीगण सह-खातेदार है। अब प्रार्थी के भाई प्यारेलाल ~~रामजीलाल~~ जो कि विवादित भूमि के 1/16 हिस्से का अभिलिखित खातेदार है, की मृत्यु हो चुकी है। उसका विरासत का नामान्तरण खोला जाना है जो स्थगन आदेश दिनांक 15/06/2023 के कारण सम्भव नहीं है। उक्त स्थगन आदेश इस कार्यवाही में रुकावट पैदा कर रहा है। अतः विरासत के नामान्तरण की स्वीकृति दी जावे। वकील वादी ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से सहमत होकर विरासत के नामान्तरण की हद तक स्वतंत्र किये जाने की सहमति दी है। अतः उभयपक्षो की बहस एवं वकील वादी की सहमति तथा कानून एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] खसरा नं. 181 वाके ग्राम मरलाना [illegible] जारी स्थगन आदेश दि. 15/06/2023 [illegible] प्यारेलाल [illegible] की विरासत का नामान्तरण खोले जाने की हद तक स्वतंत्र किया जाता है। शेष स्थगन प्रभावी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मिसल रहे। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.09.25 17:21:09 IST
Reason: SelfAttested